झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक:–3/पी०एम०सी०/कार्य–437/2021 59/21-22 प्र० स्वी० / राँची, दिनांक: 07.03.2022

प्रेषक:

प्रशांत कुमार
सचिव

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय: जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन 15 अदद वीयर योजना निर्माण लागत राशि रू० 1152.181 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ बावन लाख अठारह हजार एक सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

2. जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन 15 अदद वीयर योजना निर्माण लागत राशि रू० 1152.181 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ बावन लाख अठारह हजार एक सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. राज्य के नदी नालों में बहने वाले जल को रोककर नियंत्रित रूप से Gravity flow के द्वारा प्रवाहित कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वीयर निर्माण की योजना अत्यंत उपयोगी है।

4. योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्राक्कलन के तकनीकी स्वीकृति पर आधारित है। योजनाओं का प्राक्कलन वर्तमान में प्रभावी अनुसूचित दर पर तैयार किया गया है।

5. (क) इन योजनाओं की सूची परिशिष्ट–I पर संलग्न है।

(ख) इन कार्य की कुल लागत रू० 1152.181 लाख है, जिससे 755 हे० (खरीफ–567 हे0 एवं रब्बी–188 हे0) सिंचन क्षमता सृजन का अनुमान है। प्रस्ताव का औसत इन्सीडेन्स ऑफ कॉस्ट रू० 1.52 लाख प्रति हेक्टेयर आकलित है तथा लाभ–लागत अनुपात 1 से अधिक है।

6. योजनाओं के कार्यान्वयन की स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ प्रस्तावित है:–

(i) वीयर योजनाओं का निर्माण लोक निर्माण संहिता में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। योजना निर्माण के उपरान्त योजना के संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व लाभुक समिति का होगा। अगर कार्यस्थल पर योजना के संचालन एवं रख रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति लाभुक समिति से प्राप्त नहीं होगा, उस स्थिति में स्थल पर योजना निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जायेगा।

(ii) विभागीय पूर्वानुमोदन प्राप्त किए बिना किसी भी स्थिति में प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से अधिक राशि का व्यय नहीं किया जाएगा।

7. वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्वीकृत बजट उपबंध निम्नवत् है:–

(i) बजट शीर्ष ''मुख्य शीर्ष–4702 –लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–19–नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण कार्य–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण 45–निर्माण कार्य (50-S-4702-00-796-19-00-05-45)'' अंतर्गत रू0 1339.00 लाख का प्रावधान है।

8. इस प्रस्ताव पर होने वाला व्यय निम्न बजट शीर्ष से भारित किया जा सकेगा :–

(I) बजट शीर्ष ''मुख्य शीर्ष–4702 –लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–19–नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण कार्य–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण''45–निर्माण कार्य (50-S-4702-00-796-19-00-05-45)'' अंतर्गत भारित होने वाले व्यय की राशि रू0 1152.181 लाख है।

9. इन योजनाओं का निर्माण कार्य वर्ष 2021–22 में प्रारम्भ कर वर्ष 2022–23 में पूर्ण किया जायेगा।

10. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, लोहरदगा / सिमडेगा / सरायकेला / गुमला / जमशेदपुर होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची होंगे। संबंधित कार्यपालक अभियंता की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि योजना का निर्माण कार्य उत्तम गुणवत्ता का हो।

11. कार्य के निविदा निस्तारण के कम में विभागीय पत्रांक–3112, दिनांक–14.06.2019 की कंडिका–6.11 में निर्धारित समय सीमा का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. इस कार्य के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं तथा मानकों का सम्यक रूप से अनुपालन करते हुए योजनाओं का प्रबोधन किया जाएगा।

13. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य वित्त विभागीय परिपत्रों के अधीन लोहरदगा, सिमडेगा, सरायकेला–खरसॉवा, गुमला एवं जमशेदपुर कोषागार से की जाएगी।

14. झारखंड कोषागर संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

15. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

16. प्रस्ताव पर विभागीय (मुख्य) मंत्री, का अनुमोदन प्राप्त है।

17. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनु0:– परिशिष्ट–I

07/03/22

(प्रशान्त कुमार)
सचिव

पत्रांकः–3 / पी०एम०सी० / कार्य–437 / 2021 59/21-22 प्र०स्व० / राँची, दिनांकः 07.03.2022

प्रतिलिपिः योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड / वित्त विभाग, झारखण्ड /आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु0:– परिशिष्ट–I

07.03.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः–3 / पी०एम०सी० / कार्य–437 / 2021 59/21-22 प्र०स्व० / राँची, दिनांकः 07.03.2022

प्रतिलिपिः कोषागार, पदाधिकारी, लोहरदगा / सिमडेगा / सरायकेला / गुमला / जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु0:– परिशिष्ट–I

पत्रांकः–3 / पी०एम०सी० / कार्य–437 / 2021 59/21-22 प्र०स्वी० / रॉंची, दिनांकः 07.03.2022

प्रतिलिपिः सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग / अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3 / अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल राँची / चाईबासा / कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, लोहरदगा / सिमडेगा / सरायकेला / गुमला / जमशेदपुर / प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

अनु०:– परिशिष्ट–I

07.03.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः–3 / पी०एम०सी० / कार्य–437 / 2021 59/21-22 प्र०स्वी० / रॉंची, दिनांकः 07.03.2022

प्रतिलिपिः आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची / कोल्हान प्रमंडल चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०:– परिशिष्ट–I

07.03.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः–3 / पी०एम०सी० / कार्य–437 / 2021 59/21-22 प्र०स्वी० / रॉंची, दिनांकः 07.03.2022

प्रतिलिपिः माननीय (मुख्य) मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु०:– परिशिष्ट– I

07.03.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः–3 / पी०एम०सी० / कार्य–437 / 2021 59/21-22 प्र०स्वी० / रॉंची, दिनांकः 07.03.2022

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु / ई0 सुरेश प्रसाद भगत, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2, जल संसाधन विभाग, राँची को ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु प्रेषित।

अनु०:– परिशिष्ट– I

07.03.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्तावित वीयर योजना निर्माण कार्य की सूची -

क्रम सं0	प्रमंडल	जिला	योजना का नाम	प्रखण्ड	प्राक्कलित राशि (लाख में)	सिंचन क्षमता (हे0)			Incidence of Cost	B.C. Ratio	अभि0
						खरीफ	रब्बी	कुल			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	लोहरदगा	लोहरदगा	सहेदा नदी पर वीयर का निर्माण	लोहरदगा	94.372	40	20	60	1.57287	1.046	
2	सिमडेगा	सिमडेगा	बलडेगा नदी टोली नाला पर वीयर का निर्माण	जलडेगा	79.405	45	13	58	1.36905	1.728	
3	सिमडेगा	सिमडेगा	सिकरी बेड़ा नाला पर वीयर का निर्माण	केरसाई	98.050	40	12	52	1.88558	1.48	
4	सिमडेगा	सिमडेगा	हरिणधारा नाला पर वीयर का निर्माण	सिमडेगा	70:650	25	- 11	36	1.96250	1.29	
5	सिमडेगा	सिमडेगा	समरसिंघा नाला पर वीयर का निर्माण	सिमडेगा	78.656	20	12	32	2.45800	1.28	
6	सरायकेला	सरायकेला – खरसावाँ	रूगुंडीह के टोला मुरमडीह के डेरा कोचा में वीयर का निर्माण	कुचई	82.420	35	10	45	1.83156	1.89	
7	सरायकेला	सरायकेला – खरसावाँ	रूगडोह में टोला जेनकारू वीयर का निर्माण	कुचई	48.780	15	7	22	2.21727	1.73	
8	गुमला	गुमला	घाघरी नाला पर वीयर का निर्माण	डुमरी	99.292	62	18	80	1.24115	1.15	
9	गुमला	गुमला	जरिया नाला में वीयर का निर्माण	कामडारा	57.805	34	14	48	1.20427	1.29	
10	गुमला	गुमला	कोटवो नाला में वीयर का निर्माण	कामडारा	60.615	30	14	44	1.37761	1.31	
11	गुमला	गुमला	सालेगुटू नाला में वीयर का निर्माण	कामडारा	65.250	30	13	43	1.51744	1.41	
12	गुमला	गुमला	ममरला नाला में वीयर का निर्माण	बसिया	62.590	40	10	50	1.25180	1.26	
13	गुमला	गुमला	हगरीढोढा नाला में वीयर का निर्माण	सिसई	72.955	40	11	51	1.43049	1.36	
14	गुमला	गुमला	खिजूरगढ़ा नाला में वीयर का निर्माण	भरनो	57.215	27	7	34	1.68279	1.16	
15	जमशेदपुर	पूर्वी सिंहभूम	जियान में स्थानीय नाला पर वीयर का निर्माण	गुड़बंधा	124.126	84	16	100	1.24126	1.64	
					1,152.181	567	188	755			

59/21-22 प्र० स्वी०
07.03.2022